UPJS010031322026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

उपस्थित- आदित्य चतुर्वेदी (एच.जे.एस)

J.O.Code No- UP 6311

जमानत प्रार्थनापत्र सं- 1000 / 2026

बाबूलाल पुत्र स्व. दुग्दू अहिरवार निवासी बदउआ खिरक कटेरा देहात थाना कटेरा जिला झांसी। **- - - - - अभियुक्त**

बनाम

राज्य **- - - - अभियोजक**

वारंट एण्ड समन ट्रायल सं. 44/ 2026
धारा- 212, 217 बी. एन. एस
थाना- कटेरा, जिला झांसी।

दिनांक- 30. 05. 2026

1. अभियुक्त बाबूलाल उपरोक्त वारंट एण्ड समन ट्रायल सं. 44/ 2026 अन्तर्गत धारा 212, 217 बी. एन. एस थाना- कटेरा जिला झांसी के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नही किया है। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु समन जारी किया गया था जिस पर अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर आत्मसमर्पण कर दिया है। अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा उपरोक्त धाराओं के तहत संज्ञान लिया है। उक्त अपराध जमानतीय जुर्म है। अतः अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया तथा कथन किया है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने की याचना की गयी है।

5. **अभियुक्त के जमानत आवेदन पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।**

6. न्यायालय के आदेश दिनांक 22. 4. 26 के अनुसार एफ. आर संख्या 02/ 2026 थाना कटेरा जिला झांसी स्वीकार की गयी थी तथा वादी बाबूलाल के विरूद्ध मुकदमा परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमा दर्ज होने के पश्चात वादी / अभियुक्त बाबूलाल को समन जारी किया गया था। उक्त समन तामीला पर वादी / अभियुक्त बाबूलाल हाजिर अदालत आया और न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए हुए अभियुक्त का केस जमानत का सृजित होता है। तदनुसार अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त बाबूलाल का वारंट एण्ड समन ट्रायल सं. 44/ 2026 अन्तर्गत धारा 212, 217 बी. एन. एस थाना- कटेरा जिला झांसी के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र

Digitally signed by ADITYA CHATURVEDI
Date: 2026.05.30 14:14:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को **बीस हजार** रूपये की एक जमानत व समान धनराशि का बंधपत्र दाखिल करने पर रिहा किया जाता है।

दिनांक- 30. 05. 26

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश, एस. सी. एस. टी एक्ट,
झांसी।